छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29.01.2016

अधिसूचना

क्रमांक **979**/281/21–ब/छ.ग./16– आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का 7) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सिखों के बीच रूढ़िजन्य विवाह कर्म (जिसे सामान्यतः आनन्द कारज के रुप में जाना जाता है) के पंजीयन के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.–** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ आनन्द विवाह पंजीयन नियम, 2016 कहलायेंगे।

(2) ये नियम ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. **परिभाषायें.–** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का 7);

(ख) ''आनन्द विवाह'' से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित आनन्द विवाह जिसे सामान्यतः आनन्द कारज के रुप में जाना जाता है ;

(ग) ''जिला पंजीयन'' से अभिप्रेत है नियम 3 के अधीन प्राधिकृत जिला पंजीयक;

(घ) ''प्ररुप'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररुप;

(ड.) ''पंजी'' से अभिप्रेत है प्ररुप–एक में पंजीयक द्वारा संधारित आनन्द विवाह की पंजी;

(च) ''पंजीयक'' से अभिप्रेत है नियम 3 के अधीन प्राधिकृत विवाह पंजीयक ।

3. **विवाह के पंजीयन हेतु प्राधिकार.–** राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के अधीन विवाह के पंजीयन के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित के रुप में कार्य करने के लिये अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकेगी,–

(क) जिले के लिये जिला पंजीयक, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो; और

(ख) क्षेत्रों के लिये विवाह पंजीयक, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो ।

4. **अधिकारिता.–** आनन्द विवाह का पंजीयन ऐसे पंजीयक, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसा विवाह अनुष्ठापित किया गया हो, के द्वारा किया जायेगा ।

5. **विवाह की पंजी का संधारण.–** पंजीयक, प्ररुप–एक में आनन्द विवाह की पंजी का संधारण करेगा ।

हेतु प्रकिया.– (1) आनन्द विवाह के पक्षकार, पंजीयक की संतुष्टि हेतु विवाह के अनुष्ठापन को प्रमाणित करने के लिये प्ररुप–दो में दो प्रतियों में ज्ञापन और दस्तावेज तैयार करेंगे तथा उनके विवाह के अनुष्ठापन की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर पचास रुपये के पंजीयन शुल्क के साथ उसे पंजीयक को प्रस्तुत करेंगे :

परन्तु यह कि इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व अनुष्ठापित विवाह के पंजीयन के लिये, उक्त ज्ञापन और दस्तावेजों को इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर शुल्क के साथ प्रस्तुत करेंगे ।

(2) विवाह के दोनों पक्षकार द्वारा ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जायेंगे और उसमें कम से कम दो अन्य व्यक्ति, जो विवाह में साक्षी रहे हों, के हस्ताक्षर भी होंगे ।

(3) विवाह के पक्षकार, जिन्होने उप–नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपने विवाह का पंजीयन नही कराया हो, पंजीयक की संतुष्टि हेतु विवाह के अनुष्ठापन को प्रमाणित करने के लिये, पंजीयक को प्ररुप–दो में ज्ञापन तथा प्ररुप–तीन में घोषणापत्र, दस्तावेजों सहित एवं दो सौ रुपये के पंजीयन शुल्क प्रस्तुत कर अपने विवाह का पंजीयन करा सकेंगे :

परन्तु यह कि ऐसे घोषणापत्र को राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या स्थानीय स्वशासी संस्थान के सभासद अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित किया जायेगा ।

7. **विवाह का सत्यापन एवं पंजीयन.**– (1) नियम 6 के उप–नियम (1) या उप–नियम (3) के अधीन प्राप्त ज्ञापन एवं दस्तावेजों के सत्यापन एवं समीक्षा करने के पश्चात्, पंजीयक का समाधान हो जाये कि विवाह अनुष्ठापित किया गया है तो वह पंजी में विवाह की विशिष्टयां प्रविष्ट कर सकेगा और प्ररुप–चार में आनन्द विवाह का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

(2) यदि पंजीयक का यह विश्वास करने का कारण हो कि,–

(क) पक्षकारों के मध्य विवाह, आनन्द विवाह कर्म के अनुसार नही किया गया है; या

(ख) पक्षकारों तथा विवाह के अनुष्ठापन को प्रमाणित करने वाले साक्षियों के मध्य पहचान स्थापित नही है; या

(ग) उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से पक्षकारों की वैवाहिक प्रास्थिति प्रमाणित नही होता है।

तो वह, ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर, ऐसी और जानकारी या दस्तावेज, जैसा कि वह पक्षकारों और साक्षियों की पहचान स्थापित करने के लिये अथवा उसके समक्ष प्रस्तुत जानकारी या दस्तावेजों की सत्यता के लिये आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने हेतु पक्षकारों को कह सकेगा ।

विवाह के पंजीयन करने से इंकार करना.— यदि विवाह के पक्षकार नियम 7 के नियम (2) के अधीन उसके (पंजीयक) द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहते है तो पंजीयक, लिखित में कारणों को अभिलिखित कर, विवाह के पंजीयन करने से इंकार कर सकेगा ।

9. **पंजी में की गई प्रविष्टियों में सुधार.**— पंजीयक, विवाह के किसी पक्षकार द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, यदि वह संतुष्ट हो कि पंजी में की गई प्रविष्टियों में अथवा नाम, आयु या विवाह की तारीख के संबंध में पंजीयन प्रमाणपत्र पर, टंकण या लिपिकीय त्रुटि है तो जिला पंजीयक की पूर्व स्वीकृति के साथ उपयुक्त सुधार कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक सुधार पर अपना हस्ताक्षर कर सकेगा ।

10. **अपील.**— (1) पंजीयक के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे निर्णय की संसूचना की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर जिला पंजीयक को अपील कर सकेगा :

परन्तु यह कि जिला पंजीयक, तीन माह की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी के पास उक्त कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण है।

(2) जिला पंजीयक, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, पन्द्रह दिवस की कालावधि के भीतर अपील का निराकरण करेगा ।

11. **ज्ञापन का दाखिल करना.**— (1) पंजीयक, प्रत्येक माह में प्राप्त ज्ञापन की द्वितीय प्रतियों को, प्रत्येक अनुवर्ती माह के 10 तारीख के पूर्व जिला पंजीयक को अग्रेषित करेगा ।

(2) पंजीयक द्वारा प्राप्त ज्ञापन की मूल प्रति तथा जिला पंजीयक को अग्रेषित द्वितीय प्रति को उनके कार्यालय में रखा जायेगा ।

(3) पंजीयक, नियम 9 के अधीन किये गये सुधार की विशिष्टियों को सुधार की तारीख एवं उसकी एक प्रतिलिपि के साथ, जिला पंजीयक को अग्रेषित करेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

...ation and registration of marriage.- (1) Where on verification ...nd scrutiny of the memorandum and documents received under sub-rule(1) or sub-rule (3) of rule 6, the Registrar is satisfied that the marriage has been solemnised, he may enter the particulars of the marriage in the register and issue a Certificate of Anand Marriage in Form-IV.

(2) If the Registrar has reasons to believe that,-

(a) the marriage between the parties has not been performed in accordance with Anand Marriage ceremony; or

(b) the identity of the parties or the witnesses testifying the solemnization of the marriage is not established; or

(c) the documents tendered before him do not prove the marital status of the parties,

then he may, call upon the parties to produce such further information or documents as he may deem necessary, for establishing the identity of the parties and the witnesses or correctness of the information or documents presented to him within a period of thirty days from date of receipt of memorandum.

8. Refusal of registration of anand marriage.- The Registrar may, for the reasons to be recorded in writing refuse the registration of marriage, if the parties to the marriage fail to comply with the direction issued by him under sub-rule (2) of rule 7.

9. Correction of the entries in the register.- The Registrar may, on an application made to him by any party to the marriage, if satisfied that there is typographical or clerical mistakes in the entries made in the register or on the Certificate of Registration in relation to the name, age or date of marriage, make suitable corrections with previous sanction of the District Registrar and affix his signature to each such correction.

al.-(1) Any person aggrieved by the decision of the Registrar ay file an appeal to the District Registrar within a period of three months from the date of communication of such decision:

Provided that the District Registrar may entertain an appeal made to it after the expiry of the said period of three months if it is satisfied that the appellant has sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(2) The District Registrar shall, after giving opportunity of hearing to the parties concerned, dispose of the appeal within a period of fifteen days.

11. Filing of Memorandum.-(1) The Registrar shall forward duplicate copies of the memorandum received in a month to the District Registrar before the 10th day of every subsequent month.

(2) The original of the memorandum received by the Registrar and duplicate copies forwarded to the District Registrar shall be retained in their offices.

(3) The Registrar shall also forward particulars of the corrections made under rule 9 with the date of correction and a copy thereof to the District Registrar.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

29.1.16

(ए0के0 सामंतराय)
प्रमुख सचिव
छ.ग.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

पृ0क्रमांक **980** / 281 / 21–ब / छ0ग0 / 2016 रायपुर, दिनांक 29 / 01 / 2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, नई दिल्ली की ओर उनके D.O. No. 11(1)/2012-Leg.III दिनांक 18.01.2016 के संदर्भ में,
2. रजिस्ट्रार जनरल, छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़ की ओर आगामी ई–राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु,
4. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, विधि की ओर प्रमुख सचिव विधि के सूचनार्थ,
5. उप–संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पीछे, एमीनिटीज ब्लाक, नया रायपुर, छ0ग0 की ओर छ0ग0 राजपत्र (असाधारण) के अंक दिनांक 29.01.2016 में अनिवार्य रूप से प्रकाशित कर राजपत्र की 150 प्रतियॉं अनिवार्य रूप से इस विभाग को प्रेषित करने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

29/1/2016

(विजय कुमार होता)
अतिरिक्त सचिव
छ.ग.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग